

Vol. 10. No. 4. 2023

©Copyright by CRDEEP Journals. All Rights Reserved.

DOI: 10.13140/RG.2.2.23710.6560

Contents available at:

<http://www.crdeepjournal.org>

Global Journal of Current Research (ISSN: 2320-2920) CIF: 3.269

A Quarterly Peer Reviewed Journal/ UGC Approved



Research Paper

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति और चुनौतियों का अध्ययन

डॉ कमलेश सिंह यादव¹ और रीतम कुमारी²¹-प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची झारखण्ड²-शोधकर्ता, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची झारखण्ड

ARTICLE INFORMATION

Corresponding Author:
रीतम कुमार

Article history:

Received: 11-11-2023

Revised: 21-11-2023

Accepted: 15-12-2023

Published: 16-12-2023

Key words:

सर्व शिक्षा अभियान बालिका

ABSTRACT

सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक और समावेशी बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। इस अभियान ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि लैंगिक असमानता को कम करने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियाँ जैसे सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक बाधाएँ, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, और शिक्षण की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। यह अध्ययन बालिकाओं की शिक्षा में हुई प्रगति और इन चुनौतियों का विश्लेषण करता है। इसमें यह भी चर्चा की गई है कि कैसे सरकारी नीतियाँ, जागरूकता अभियान, और सामुदायिक भागीदारी इन बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकती हैं।

परिचय

भारत में बालिकाओं की शिक्षा का मुद्दा ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से हमेशा एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारतीय समाज में लंबे समय तक लैंगिक असमानता ने बालिकाओं को शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा। पारंपरिक सोच, जिसमें लड़कियों को केवल घरेलू कार्यों और परिवार तक सीमित रखने की अपेक्षा की जाती थी, ने बालिकाओं की शिक्षा को एक गौण विषय बना दिया। ऐसे में, देश में लैंगिक समानता और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसी पृष्ठभूमि में, वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था सभी बच्चों, विशेषकर बालिकाओं और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

सर्व शिक्षा अभियान ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए। इनमें लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, स्कूलों में अलग शौचालयों की व्यवस्था, और लड़कियों के लिए शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना जैसे कदम शामिल थे। इन प्रयासों से बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। उदाहरण के लिए, मिश्रा (2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि इस अभियान के बाद बालिकाओं का स्कूल में नामांकन दर 20 प्रतिशत तक बढ़ा। हालांकि, बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति के बावजूद, कई सामाजिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। बाल विवाह, पितृसत्तात्मक सोच, स्कूलों तक पहुँच की कमी, और बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उनकी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर अधिक है, क्योंकि वहाँ माता-पिता

आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों को शिक्षा देने के बजाय घरेलू कार्यों में शामिल करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। शर्मा (2015) ने यह निष्कर्ष दिया कि बालिकाओं की शिक्षा में बाधा का एक बड़ा कारण स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे कि शौचालय और सुरक्षित परिवहन। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी कई समस्याएँ हैं। जैसे, शिक्षकों की कमी, जागरूकता की कमी, और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियानों का कमजोर क्रियान्वयन। गुप्ता (2018) ने अपने अध्ययन में यह रेखांकित किया कि जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में अत्यंत आवश्यक है।

इस अध्ययन का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा में हुए सकारात्मक बदलावों और इसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से, बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के उपायों और उनके सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह शोध बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को समझाने के साथ-साथ उनके सामने आने वाली बाधाओं और इन बाधाओं को दूर करने के प्रभावी उपायों पर भी केंद्रित होगा। इस संदर्भ में, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक दृष्टिकोण, और सामुदायिक भागीदारी पर गहन अध्ययन इस विषय को और अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण तथ्य उद्देश्य

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
- लैंगिक समानता बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- समावेशी शिक्षा वंचित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना।

मुख्य आधार

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सर्व शिक्षा अभियान, अधिनियम के तहत हर बच्चे को शिक्षा का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करता है।
- समुदाय की भागीदारी स्थानीय समुदायों को स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से योजना और निगरानी में शामिल किया गया है।
- वित्तीय सहायतारू केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त वित्तपोषण।
- समान अवसर शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करने और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर।

मुख्य घटक

- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास स्कूल भवन, शौचालय, पेयजल सुविधा और कक्षाओं का निर्माण।
- शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उनके लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- मिड-डे मील योजना बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान कर स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना।

- बालिका शिक्षा
- महिला शिक्षक की नियुक्ति।
- बालिकाओं के लिए अलग शौचालय।
- विशेष अभियान, जैसे महिला शिक्षा प्रेरणा योजनाएँ

4. प्रगति

- स्कूलों में नामांकन दर में वृद्धि।
- बालिका शिक्षा में सुधार।
- वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में सफलता।
- ड्रॉपआउट दर में कमी।

5. चुनौतियाँ

- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों की कमी।
- बाल विवाह और सामाजिक रुढ़ियाँ।
- आधारभूत संरचना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी।
- जागरूकता का अभाव।

6. वित्तीय मॉडल

- केंद्र और राज्य सरकारें 60 40 के अनुपात में वित्तपोषण करती हैं।
- विशेष जरूरतों वाले राज्यों (जैसे उत्तर-पूर्वी राज्य) के लिए केंद्र 90प्रतिसत वित्तपोषण करता है।

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएँ

सर्व शिक्षा अभियान भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की एक प्रमुख पहल है। इसकी विशेषताएँ इस अभियान के उद्देश्यों और क्रियान्वयन को समझने में मदद करती हैं।

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह अभियान अधिनियम, 2009 के साथ एकीकृत है, जो शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

2. समावेशी शिक्षा

- वंचित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों और अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा के दायरे में लाने का प्रयास।
- बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

3. सामुदायिक भागीदारी

- स्थानीय समुदायों और ग्राम शिक्षा समितियों को स्कूल प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
- माता-पिता और स्थानीय संस्थाओं को स्कूल की निगरानी और सुधार में भागीदार बनाया गया।

4. बालिका शिक्षा

- बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था।
- महिला शिक्षकों की नियुक्ति।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे विशेष कार्यक्रम।

5. आधारभूत संरचना का विकास

- स्कूल भवनों का निर्माण।
- कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, शौचालयों और पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

6. मिड-डे मील योजना

- बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करके स्कूलों में उपस्थिति और नामांकन बढ़ाना।
- यह योजना बालिकाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से प्रभावी रही है।

7. शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

- शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मापदंड सुनिश्चित करना।
- शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

8. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान

- बच्चों को केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- शिक्षण सामग्री और पद्धतियों को आधुनिक और बच्चों के अनुकूल बनाया गया।

9. विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

- समावेशी शिक्षा के तहत विकलांग बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया गया।
- उनके लिए सहायक उपकरण, संसाधन और विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की गई।

10. वित्तीय सहायता

- केंद्र और राज्य सरकारों का साझा वित्तपोषण।
- शिक्षा के लिए अलग से बजट का प्रावधान।

11. लचीला दृष्टिकोण

- क्षेत्रीय और सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण।
- दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में वैकल्पिक शिक्षा पद्धतियों का उपयोग।

12. ड्रॉपआउट दर में कमी

- स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय।
- पुनरु प्रवेश योजनाएँ और विशेष प्रेरणा कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

1. 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना

- इस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना।

2. शत-प्रतिशत नामांकन दर प्राप्त करना

- सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करना।
- स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।

3. ड्रॉपआउट दर को कम करना

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य के करीब लाना।
- बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाना।

4. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना

- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और महिला शिक्षकों की नियुक्ति।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम।

5. लैंगिक समानता प्राप्त करना

- लड़कियों और लड़कों के बीच शिक्षा में असमानता को खत्म करना।
- शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

6. वंचित वर्गों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
- विशेष योजनाओं और सुविधाओं के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करना।

7. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- शिक्षण सामग्री और पद्धतियों को बच्चों के अनुकूल बनाना।

8. शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

- पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति।

- शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम और उनकी दक्षता में वृद्धि।

9. स्कूल आधारभूत संरचना का विकास

- स्कूल भवन, कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल, और पुस्तकालय की उपलब्धता।
- बच्चों को सुरक्षित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना।

10. बाल श्रम समाप्त करना

- बाल श्रम में लगे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना।
- बाल श्रमिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ।

11. मिड-डे मील योजना

- बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना।
- स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति दर को बढ़ावा देना।

12. विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

- विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएँ और सहायक उपकरण।
- समावेशी शिक्षा के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना।

13. सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना

- स्थानीय समुदायों, अभिभावकों, और पंचायतों को शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल करना।
- स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी।

14. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण

- सभी बच्चों के लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा में असमानता को कम करना।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसे 2001 में शुरू किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया।

प्रमुख कार्यक्रम और पहल

1. विद्यालय अवसंरचना विकास

- नए स्कूलों का निर्माण
- शौचालय और पीने के पानी की सुविधा
- पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की स्थापना

2. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
- बालिका शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति
- कन्या शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम

3. शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण

- योग्य शिक्षकों की नियुक्ति
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- डिजिटल लर्निंग और ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराना

4. समावेशी शिक्षा

- दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहायता
- ब्रेल और साइन लैंग्वेज की सुविधा
- विशेष शिक्षकों की नियुक्ति

5. मिड-डे मील योजना

- छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए भोजन उपलब्ध कराना
- विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना

6. शिक्षा में नवाचार और टेक्नोलॉजी का उपयोग

- डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट स्कूल
- ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का विकास
- सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग

7. विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना

- ड्रॉपआउट बच्चों की पुनः स्कूल में वापसी
- प्रेरणा शिविर और समर कैंप का आयोजन

8. विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

- सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए सहायता
- विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं

नवीन पहल

- समग्र शिक्षा अभियान के तहत और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का एकीकरण
- डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई-पाठशाला और दीक्षा पोर्टल
- नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण सुधार

सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख उपलब्धियाँ

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसे 2001 में शुरू किया गया था और 2010 में इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ जोड़ा गया।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

- भारत में 96: से अधिक बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन हुआ।
- 6–14 वर्ष के आयु वर्ग में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आई।
- 2018–19 तक प्राथमिक शिक्षा का लगभग 98 प्रतिशत से अधिक पहुंचा।

2. विद्यालय अवसंरचना में सुधार

- देशभर में 3 लाख से अधिक नए स्कूलों का निर्माण किया गया।
- 18 लाख से अधिक अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण।
- विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय सुविधाओं में सुधार।
- सूचना और संचार तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

3. बालिका शिक्षा में वृद्धि

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 3,500 से अधिक विद्यालय स्थापित किए गए।
- बालिका छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं से लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई।
- बालिकाओं के लिए अलग शौचालय सुविधाएं बढ़ाई गईं, जिससे ड्रॉपआउट रेट में कमी आई।

4. मिड-डे मील योजना

- लगभग 12 करोड़ से अधिक बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया।
- इससे कुपोषण की समस्या में सुधार हुआ और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई।

5. शिक्षक प्रशिक्षण और नियुक्ति

- लाखों शिक्षकों की भर्ती की गई और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार हुआ।
- डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म को बढ़ावा दिया गया।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हुआ।

6. समावेशी शिक्षा

- दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री और शिक्षक उपलब्ध कराए गए।
- ब्रेल पुस्तकें, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण दिए गए।

7. स्कूल छोड़ने की दर में कमी

- 2001 में स्कूल छोड़ने की दर 40: से अधिक थी, जो 2018–19 तक घटकर 20: से कम हो गई।
- सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं से बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में सफलता मिली।

8. नई शिक्षा नीति (2020) और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सुधार

- डिजिटल लर्निंग, ई-पाठशाला और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिका छात्रवृत्ति योजनाएँ, मिड-डे मील योजना और विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार ने लड़कियों के नामांकन और उपस्थिति दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रगति के प्रमुख बिंदु

- बालिका नामांकन में वृद्धि के तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन दर 90प्रतिसत से अधिक हो चुका है।
- ड्रॉपआउट दर में कमीरू पहले जहां बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी, अब यह काफी हद तक कम हुई है।
- बुनियादी सुविधाओं का सुधाररू विद्यालयों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, छात्रावास सुविधाएँ और सुरक्षित वातावरण से बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ी।
- सरकारी सहायता बालिकाओं को वित्तीय सहायता, निःशुल्क किताबें, वर्दी और साइकिल योजनाएँ शिक्षा को प्रोत्साहित करने में कारगर साबित हुईं।

चुनौतियाँ जो अब भी बनी हुई हैं

- रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती।
- किशोरावस्था में ड्रॉपआउट बच्चियों की जल्दी शादी, घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण कई लड़कियाँ माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देती हैं।
- शिक्षण गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकतारू केवल स्कूल में नामांकन पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है।
- डिजिटल शिक्षा की पहुंच कई ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण लड़कियाँ ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।

समाप्ति

हालांकि सर्व शिक्षा अभियान ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक सोच में बदलाव, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना आगे की राह को सुगम बना सकते हैं। सरकार और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बालिका को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ताकि वह आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थि सूचि

पुस्तकें एवं शोध पत्र

अग्रवाल, एस. (2018). सर्व शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षारू एक विश्लेषणात्मक अध्ययन। नई दिल्ली नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

शर्मा, पी. (2020). भारत में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभावरू एक तुलनात्मक अध्ययन। वाराणसी काशी विद्यापीठ प्रकाशन।

सिंह, आर. (2017). ग्रामीण भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति और नीतिगत सुधार। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय।

त्रिपाठी, के. (2019). बालिका शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका। नई दिल्ली शिक्षा भारती पब्लिकेशन।

शोध लेख एवं रिपोर्ट्स

मंत्रालय मानव संसाधन विकास, भारत सरकार (2021). सर्व शिक्षा अभियानरू वार्षिक रिपोर्ट। नई दिल्ली भारत सरकार।

यूनिसेफ इंडिया (2020). बालिका शिक्षा चुनौतियाँ और समाधान। यूनिसेफ पब्लिकेशन।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (2018). भारतीय शिक्षा प्रणाली में सर्व शिक्षा अभियान का योगदान। नई दिल्ली।

विश्व बैंक (2019). भारत में शिक्षा का आर्थिक प्रभाव एक विश्लेषण। वाशिंगटन, डी.सी. विश्व बैंक प्रकाशन।

ऑनलाइन स्रोत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सर्व शिक्षा अभियान। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।

बालिका शिक्षा और सरकारी योजनाएँ। योजना आयोग, भारत सरकार।